न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आँगनबाड़ी अपील वाद–04/2015

आरती कुमारी बनाम राज्य

आदेश

23.9.17

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील अपीलार्थी आरती कुमारी द्वारा आँगनबाड़ी वाद संख्या–20/2014–15 में दिनांक–11.08.2015 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी वाद संख्या–20/2014–15 में मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधान के विपरीत आदेश पारित करते हुए विपक्षी सं०–5 रूणा कुमारी का सेविका पद पर चयन कर दिये जाने के विरूद्ध दाखिल किया जा रहा हैं।

अपीलार्थी का संदर्भित विषय वस्तु संक्षेप में यह है कि –

i- महिषी बाल विकास परियोजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत आरापट्टी, वार्ड नं0–9 के राम एवं धानुक टोला आँगनबाड़ी केन्द्र कोड संख्या–109 के आँगनबाड़ी सेविका चयन हेतु विज्ञापन निकाला गया। पोषक क्षेत्र का वर्ग बाहुल्य अनुसूचित जाति निर्धारित किया गया। अपीलार्थी अनुसूचित जाति से थी तथा सभी अर्हता पूरी करती थी, इसलिए ससमय आवेदन दाखिल कर प्राप्ति रसीद प्राप्त की।

ii- अपीलार्थी सहित कुल 8 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन जमा किया गया, जिसके आधार पर मेधा सूची तैयार की गयी, जिसके क्रमांक– 7 पर अपीलार्थी का नाम है तथा कुल मेधा अंक 52.42 है। कार्यालय द्वारा गलत रूप से अपीलार्थी को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग दर्शाया गया, जिस पर अपीलार्थी ने ससमय आपत्ति दर्ज करायी। अनुसूचित जाति की दो अन्य अभ्यर्थी मेधा क्रम संख्या–4 रूबी कुमारी एवं 5– रतन कुमारी जिनका उम्र 18 वर्ष से कम था, इसलिए पोषक क्षेत्र के वर्ग बाहुल्य से एक मात्र अपीलार्थी ही सुयोग्य थी, जिसे गलत रूप से अत्यन्त पिछड़ा वर्ग दर्शाते हुए बगैर सुधार के फाईनल मेधा सूची दिनांक– 16.01.2013 को प्रकाशन कर दिया गया, जो गलत हैं।

iii- सेविका पद के चयन हेतु 03.06.2013 को आम सभा वार्ड सदस्य की अध्यक्षता एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बनमाईटहरी, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी –सह– सदस्य सचिव की उपस्थिति में की गयी। चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। आम सभा के प्रस्ताव संख्या–2 से मैपिंग पंजी के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग बाहुल्य घोषित किया गया। तदनुरूप मेधा सूची के क्रमांक–4 एवं 5 की अभ्यर्थी अनुसूचित जाति से थी, किन्तु 18 वर्ष से कम उम्र रहने के कारण चयन से बंचित कर दिया गया। तब अपीलार्थी के आवेदन पर विचार किया गया, जो अनुसूचित जाति से एक मात्र उम्मीदवार थी, जो सभी अर्हता को पूरा करती थी। चूँकि अपीलार्थी गाँव की बेटी है, जो स्थायी रूप से अपने मायके में रहते हैं, जिसका साक्ष्य अंचलाधिकारी, महिषी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र, मतदाता फोटो पहचान पत्र एवं मतदाता सूची में नाम दर्ज है, जो चयन अर्हता की कंडिका–4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 को पूरा करती हैं, बावजूद गलत एवं मनमाने रूप से अपीलार्थी को केवल वार्ड की बेटी दर्शाकर चयन से वंचित करते हुए पिछड़े वर्ग की अपीलार्थी संगीता कुमारी का गलत ढंग से चयन कर लिया गया। इस अनियमितता के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा उच्चाधिकारियों से की गयी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

iv- अपीलार्थी द्वारा जानकारी के अभाव में कोई वाद दाखिल नहीं की गयी। उक्त संदर्भ में एक दीगर अभ्यर्थी रूणा कुमारी द्वारा निम्न न्यायालय में वाद दाखिल किया गया, जिसमें निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नोटिस भी नहीं दिया गया, जबकि वर्ग बाहुल्य से अपीलार्थी एक मात्र सुयोग्य उम्मीदवार थी एवं पूर्व भी शिकायत की थी, बावजूद अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया एवं प्रावधान के विपरीत जाकर वाद संख्या–20/2014–15 में आदेश पारित करते हुए रूणा कुमारी का

23.9.17

चयन कर दिया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर निर्धारित समय सीमा के 3 दिन विलम्ब से विलम्ब क्षान्त आवेदन के साथ प्रस्तुत अपील दाखिल किया गया हैं।

v- अपीलार्थी ने आधार के रूप में मार्गदर्शिका की कंडिका – 4.7 का उल्लेख किया है, जो निम्नवत हैंः–

" यदि उस टोले या गाँव की बेटी स्थायी रूप से माँ के यहाँ निवास करती है, उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तथा चुनाव आयोग का फोटो प्रमाण–पत्र तथा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो उसके चयन पर विचार किया जायगा। "

अन्ततः अपीलार्थी ने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त कर अपीलार्थी के चयन का आदेश पारित करने की याचना की हैं।

विपक्षी संख्या–5 रूणा कुमारी ने अपने प्रत्युत्तर में कहा है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या–20/2014–15 में पारित आदेश दिनांक–11.08.2015 के आधार पर सेविका के रूप में कार्यरत हैं।

i- समाज कल्याण विभाग की संचिका संख्या–आई०सी०डी०एस० 50030/22–2012 ज्ञापांक आई०सी०डी०एस०–50030/22–2012/2354 दिनांक–17.05.2013 के द्वारा आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका–10 की उप कंडिका–10.02, 10.03, 10.04 एवं 10.07 को संशोधित किया गया एवं चयन में अनियमितता एवं चयन मुक्ति मामले में अपीलीय प्रावधान के तहत सुनवाई हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में पूर्व से प्राधिकृत जिला पदाधिकारी के स्थान पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया एवं अन्य संशोधन किया गया, लेकिन दो साल व्यतीत हो जाने के बाद अपीलार्थी ने सीधे श्रीमान् के न्यायालय में अपील दाखिल किया है, जो खारीज योग्य हैं।

ii- अपीलार्थी द्वारा लगाये गये आरोप मनगढंत, तथ्यहीन, बेबुनियाद है तथा दावा सरासर झूठा हैं। अपीलार्थी सेविका के लिए सर्वथा अयोग्य उम्मीदवार थी और चयन समिति द्वारा अपीलार्थी को वार्ड की बेटी बताकर वार्ड में नहीं रहने के कारण उनके चयन पर विचार नहीं किया गया जो सर्वथा नियमानुकूल हैं। इसी सच्चाई के कारण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा दिनांक–11.08.2015 को संगीता कुमारी को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा चयन मुक्त किये जाने संबंधी पारित आदेश पर संगीता कुमारी के उकसाने एवं बहकावे में आकर विपक्षी को परेशान करने की नियत से दो वर्ष बाद पूर्व में किसी न्यायालय गये बिना सीधे अपील दाखिल की हैं।

iii- अपीलार्थी ने श्रीमान् के न्यायालय में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा 11.08.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने का कोई हक व वैधानिक अधिकार नहीं हैं। क्योंकि, निम्न न्यायालय में न तो वो पक्षकार थी और न हीं चयन के विरूद्ध अलग से अपीलार्थी द्वारा कोई वाद दाखिल किया गया थ।

iv- अपीलार्थी शादी शुदा महिला है जो शादी के बाद से अपने पति अजय कुमार राम उर्फ जीवछ राम, पिता–कप्पू राम के साथ अपने ससुराल ग्राम–बेलसंडी, पंचायत–बेलसंडी, वार्ड नं0–9, प्रखण्ड व थाना–विधान, जिला–समस्तीपुर में रहती है। उपरोक्त ग्राम पंचायत बेलसंडी के पंचायत आम निर्वाचन नामावली, 2016 के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–9 के मतदाता सूची के क्रमांक–27 पर अपीलार्थी का नाम उसके पति के नाम के साथ अंकित है, जबकि क्रम संख्या–28 में अपीलार्थी अजय कुमार राम का नाम उसके पिता–कप्पू राम के नाम के साथ अंकित हैं। साक्ष्य स्वरूप निर्वाचक नामावली की तीन पृष्ठ प्रत्युत्तर के साथ संलग्न की गयी हैं।

v- अपीलार्थी का यह दावा कि वह अपने मायके में रहती है, सरासर झूठ एवं गलत है। क्योंकि, अपीलार्थी अपने ससुराल बेलसंडी में रहती हैं जहाॅ उसके पारिवारिक राशन कार्ड में उसका नाम परिवार के अन्य सदस्यों के नाम के साथ दर्ज हैं। इस तथ्य के समर्थन में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,

23.3.1r

विधान द्वारा सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध करायी गयी सूचना, पारिवारिक राशन कार्ड की कुल छः प्रतियॉ प्रत्युत्तर के साथ साक्ष्य स्वरूप संलग्न हैं।

vi- अपीलार्थी अपने ससुराल में रहती हैं और उनकी पुत्री अस्मिता उर्फ सुस्मिता कुमारी एवं पुत्र अनुराग कुमार बाल विकास परियोजना, विधान के ऑगनवाड़ी केन्द्र संख्या–14 वार्ड नं0–9 में स्कूल पूर्व शिक्षा एवं टेकहोम राशन की लाभार्थी है। उक्त ऑगनवाड़ी केन्द्र के छात्र उपस्थिति पंजी के क्रमांक–23 पर अपीलार्थी की पुत्री का नाम एवं टी०एच०आर० वितरण पंजी के क्रमांक–16 पर अपीलार्थी के पुत्र अनुराग कुमार का नाम उसके पिता के मूल एवं उर्फ नाम के साथ अंकित हैं। सूचना के अधिकार के तहत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, विधान के कार्यालय ज्ञापांक 54 दिनांक–27.02.2017 से प्राप्त उपस्थिति पंजी, टी०एच०आर० पंजी की कुल 9 फर्द में छाया प्रति प्रत्युक्त के साथ संलग्न हैं।

अन्ततः विपक्षी ने उनके प्रत्युत्तर को स्वीकार कर अपीलार्थी द्वारा गलत तथ्यों पर आधारित अपील को खारीज करने की याचना की हैं।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। चूँकि आम सभा में अपीलार्थी को गाँव की बेटी होने एवं गाँव में नहीं रहने के कारण अयोग्य घोषित किया था एवं अपीलार्थी निम्न न्यायालय के पक्षकार भी नहीं थी और प्रतिपक्षी ने आवेदिका के अपने ससुराल में रहने एवं वही विभिन्न योजनाओं के लाभ लेने संबंधी पर्याप्त साक्ष्य दिये हैं। अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

23.9.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

23/9/17

जिलाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 1502-2/विधि, सहरसा, दिनांक 26-09-2017.

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
25.09.017